प्रश्न सं. [क्र. 2200]

विधानसभा प्रश्न क्रं 2200 [illegible]

परिशिष्ट-1/1

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते है ।

I. **बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने का जोखिमः- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरित मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होनाः-**

बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल के कुल रकबे के 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर यह जोखिम लागू होगा । इस प्रावधान के अंतर्गत बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा तथा प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरान्त संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा । क्षति की अधिसूचना जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी ।

II. **फसल मौसम में मध्य में हानिः-** खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक) की अवस्था में:- सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानिः-

फसल अवस्था के बीच में फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर यह प्रावधान लागू होगा । इस प्रावधान के अंतर्गत बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जावेगा । क्षति की अधिसूचना जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी ।

भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज - अनुमानित उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि का 25\% (अधिकतम)}$$

III. **कटाई उपरांत क्षतिः-** कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षतिः-

कटाई उपरान्त फसल क्षति का आवरण एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग/कृषि रक्षक टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । क्षति प्रतिशत के आधार पर दावा राशि की गणना की जायेगी।

IV. **क्षेत्रीय आपदाः-** क्षेत्रीय आपदा जिसमें **ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन, बादल फटना एवं बिजली गिरने से आग** लगना के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षतिः-

क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग/कृषि रक्षक टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । क्षति प्रतिशत के आधार पर दावा राशि की गणना की जायेगी।

अंतिम दावा राशि की गणनाः- (रिमोट सेंसिंग तकनीक/फसल कटाई प्रयोग के आधार पर)

सहायक संचालक
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

रिमोट सेंसिंग तकनीक/फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर निम्नानुसार सूत्र से अंतिम दावा राशि की गणना की जावेगी ।

(थ्रेशोल्ड उपज - वास्तविक उपज)

दावा राशि =------------------------ X बीमित राशि

थ्रेशोल्ड उपज

थ्रेशोल्ड उपज =औसत उपज **X** क्षतिपूर्ति स्तर

क्षतिपूर्ति स्तर मध्यप्रदेश में 80 प्रतिशत निर्धारित है ।

औसत उपज = विगत 7 वर्षो की उत्पादकता का औसत जिसमें से 2 वर्ष प्राकृतिक आपदा के घटाये जावेंगें ।

अर्थात थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज कम होने पर ही क्षति पूर्ति देय होगी। फसल मौसम के मध्य में फसल क्षति, क्षेत्रीय आपदा एवं कटाई उपरांत क्षति जोखिमों में देय दावा राशि का अंतिम दावा राशि में समायोजन होगा। यदि कृषक को अंतिम दावा से अधिक का भुगतान हुआ है तो शेष राशि कृषक से वसूल नहीं की जायेगी ।

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2200 तारांकित परिशिष्ट 1 पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 2 तक।

सहायक संचालक
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

02

परिशिष्ट-~~01~~

विधान सभा बजट सत्र फरवरी-मार्च 2026 के प्रश्न क्रं. 2200 तारांकित की जानकारी					
खरीफ 2025 विधान सभा क्षेत्र सुवासरा के अंतर्गत जानकारी					
जिला	विधान सभा	तहसील	बीमित कृषक आवेदन संख्या	कृषक अंश प्रीमियम राशि (रुपये में)	बीमित राशि (रुपये में)
मंदसौर	**सुवासरा**	शामगढ़	55480	19495649.27	974784080.52
मंदसौर	**सुवासरा**	सीतामऊ	123151	41847864.61	2092396630.58
मंदसौर	**सुवासरा**	सुवासरा	60651	18240797.36	912041853.42
कुल			**239282**	**79584311.24**	**3979222565**

खरीफ 2025 जिला मंदसौर अंतर्गत जानकारी					
जिला	**विधान सभा**	**तहसील**	**बीमित कृषक आवेदन संख्या**	**कृषक अंश प्रीमियम राशि (रुपये में)**	**बीमित राशि (रुपये में)**
मंदसौर	गरोठ	भानपुरा	41225	21940875.46	1097044932.18
मंदसौर	मंदसौर	दलोदा	61124	23127798.59	1156391767.92
मंदसौर	गरोठ	गरोठ	47466	18675735.97	933787927.74
मंदसौर	मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	107403	40491218.44	2024562998.02
मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	91052	33294828.08	1664743910.64
मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर नगर	17446	6703504.81	335175662.58
मंदसौर	सुवासरा	शामगढ़	55480	19495649.27	974784080.52
मंदसौर	सुवासरा	सीतामऊ	123151	41847864.61	2092396630.58
मंदसौर	सुवासरा	सुवासरा	60651	18240797.36	912041853.42
कुल			**604998**	**223818272.59**	**11190929763.60**

Agriculture Insurance Co. of India Ltd.
BHOPAL
भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2200 तारांकित परिशिष्ट 2 के पृष्ठ क्रमांक 1 तक।

सहायक संचालक
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश